Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to undertake the caste based census in National census 2021 for categorization of reservation.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (**नालंदा**): अध्यक्ष महोदय, हमारा देश जाति प्रधान समाज है । अब प्रश्न यह उठता है कि किन-किन जातियों की संख्या कितनी है, क्योंकि संख्या बल ही समाज में उस जाति के अस्तित्व का निर्धारण करता है । मुख्यत: आरक्षण को ही आधार मान लिया जाए तो एस.सी, एस.टी., ओबीसी और जनरल कैटेगरी की व्यवस्था हमारे संविधान में दी गई है । यह संविधान की मूल भावना भी है । अगर देश में एस.सी, एस.टी., ओबीसी और जनरल कैटेगरी की जाति आधारित जनगणना कर आंकड़े जुटा लिए जाएं तो आगे यह आसान होगा कि आरक्षण व्यवस्था एवं अन्य सरकारी सुविधाओं में किस कैटेगरी की कितनी साझेदारी होगी, फिर, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है । हमारे नेता नीतीश कुमार जी, जो बिहार के मुख्य मंत्री हैं, वे विधान सभा में और कई प्लेटफॉर्मों से यह मांग उठाते रहे हैं कि केंद्र सरकार जातिगत आधारित जनगणना अवश्य करा ले ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब पशु-पक्षी और पेड़-पौधों की गणना हो सकती है तो जातिगत आधारित जनगणना क्यों नहीं हो सकती है? अगले वर्ष 2021 में आम जनगणना होनी है । उस जनगणना में जातिगत आधारित जनगणना का भी प्रावधान अवश्य होना चाहिए । मैं सरकार से मांग करता हूं कि वर्ष 2021 की प्रस्तावित राष्ट्रीय जनगणना में जातिगत आधारित जनगणना को भी शामिल किया जाए । इस तरह से समाज में लोगों की जो भिन्न-भिन्न राय आ रही हैं, उससे उनको पूर्ण आँकड़े मिल जाएंगे । साथ ही सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि रिजर्वेशन का एक साइंटिफिक आधार होना जरूरी है । अत: जातिगत जनगणना के आँकड़े सुप्रीम कोर्ट की मांग को भी पूरा करेंगे । धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष : श्री मलूक नागर, श्री अनुभव मोहंती, श्रीमती मंजुलता मंडल और श्री रमेश चन्द्र माझी को श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।